[illegible]

8/ 87

16/1

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित / अनु. पत्रावलियो की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 23/1/19 को पेश हो।

[illegible]

23/1/19

पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली से वादी का वाद [illegible] [illegible] [illegible] निर्णय अलग से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

[illegible] 28 / 2005 [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी: मोहनलाल प्रतिहार, आर0ए0एस0

रण संख्या: 28 / 2005(दावा)

उनवान

1.रामचरण पुत्र कवॅरिया,
2.छोटूलाल पुत्र कवॅरिया,
3.मु0 बिरजी बेवा कवॅरिया जाति लोधा निवासी कुन्हाडी जिला कोटा। वादीगण

बनाम

1.बाल्या पुत्र पन्ना जाति माली निवासी कुन्हाडी जिला कोटा।
2.हरदेव सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी बालीता जिला कोटा।
3.गुरूदेव सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी बालीता जिला कोटा।
4.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा। प्रतिवादीगण

(वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92 व 188 आर0 टी0 एक्ट)

निर्णय

दिनांक 23.1.2019

उपस्थितिः—
श्री हुकम चन्द जैन, वादीगण अधिवक्ता।
श्री गोविन्द सिंह, सरकार पैरोकार।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण ग्राम बालीता की ख0 नं0 158 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार है एवं काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी नं0 2 व 3 को पूर्व सहखातेदार गणपत पुत्र देवा के स्थान पर ख0 नं0 160 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा जमीन खरीदने की वजह से खातेदार हो जाने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं0 1 विवादित आराजी का पडौसी काश्तकार है। जिसके खाते में पुराने ने ख0 नं0 159 की 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज थी लेकिन सेटलमेन्ट आधिकारियों द्वारा अनाधिकृत तौर पर उक्त भूमि को 3.25 है0 दर्ज कर दिया है जिसके नये नं0 249, 250, 251 बनाये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 ने अपने खाते मे 5 बीघा आराजी अधिक करा ली है।

वादीगण की पुराने ख0 नं0 158 की 37 बीघा 3 बिस्वा आराजी के बाद सेटलमेन्ट के नये नं0 237 ,238, 239 बनाये गये जिसमें से ख0 नं0 238 एवं 239 वादी के खाते दर्ज कर दी तथा 237 की

है0 आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया तथा उक्त नं0 पर वादीगण को अतिकमी मानते हुए अप्रेल 1990 को नोटिस दिया गया।

वादीगण द्वारा वर्तमान ख0 नं0 240 के पुराने ख0 नं0 184 में मात्र 0.02 है0 आराजी सिवायचक दर्ज थी जिसमें 0.40 है0 बढाकर 0.42 है0 दर्ज कर दी थी। इस प्रकार 0.40 है0 आराजी वादीगण के खाते में कम कर सिवायचक दर्ज कर दी थी। इस प्रकार वादीगण 37 बीघा 3 बिस्वा आराजी मे से 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर दी जिसे वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से अपने खाते मे पुनः दर्ज कराने के अधिकारी है। तथा निवेदन किया है कि तहसीलदार लाडपुरा वादीगण को ख0 नं0 240 व 237 पर से बेदखल करने पर उतारू है इसलिए धारा 80 जा0 दीवानी का नोटिस दिया जाना सम्भव नही होने से दावे को अर्जेन्ट नेचर का मानते हुए धारा 80 (2) जा0 दीवानी के तहत दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें। अन्त में वादीगण द्वारा प्रार्थना की गई है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी नं0 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वह उन्हे विवादित आराजी ख0 नं0 237 एवं 240 से कभी बेदखल नही करें। तथा वादग्रस्त आराजी सिवायचक से हटाई जाकर उक्त आराजी पर वादीगण के खातेदारी अधिकार प्रदान किए जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 बावजूद सूचना अनु0 रहने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 नं0 4 की और से पेरोकार सरकार ने उप0 होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा दावा वादी सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है।

तनकी संख्याः–1.क्या वादीगण खसरा नं0 158 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा के खातेदार काबिज काश्त है।

वादीगण

तनकी संख्याः–2.क्या खसरा नं0 158 से नया नं0 237 बना है।

वादीगण

तनकी संख्याः–3.क्या वर्तमान खसरा नं0 240 मे अधिक भूमि दर्ज कर वादीगण के खाते की व कब्जे की आराजी के रकबे मे कमी कर दी है।

वादीगण

तनकी संख्याः–4.क्या वर्तमान खसरा नं0 238 व 239 वादीगण के खाते मे दर्ज आराजी मे पुराने खसरा नं0 158 का रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा आराजी मे कमी कर दी है।

वादीगण

की संख्याः–5 क्या प्रतिवादी कम 1 जो कि वादीगण का पडौसी काश्तकार है के खाते मे सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा 5 बीघा आराजी नाजायज एवं अवैध रूप से अधिक दर्ज करदी है। प्रतिवादी

तनकी संख्याः–6.आया प्रतिवादी कम 2 व 3 को पूर्व राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है। वादीगण

तनकी संख्याः–7.न्यायोचित सहायता पाने का वादी अधिकारी है।

शहादत वादी में बयान लेख बंद किए गए। प्रति0 नं0 4 द्वारा कोई शहादत प्रस्तुत नही की गई। दोनो पक्षो द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.5.2002 को निर्णय किया गया। इस न्यायालय के निर्णय को पुनः सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया। वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रा0 का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया एवं दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया जिस पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी संख्याः–1.क्या वादीगण खसरा नं0 158 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा के खातेदार काबिज काश्त है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2028–31 में खसरा नं0 158 की 37 बीधा 3 बिस्वा आराजी वाके ग्राम बालिता वादीगण के खाते दर्ज थी जिसके मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 अनुसार वर्तमान खसरा नं0 1.99 है0 व 239 रकबा 2.42 है0 कायम किए गये हैं जो मुताबिक जमाबंदी संवत् 2044–47 में वादीगण के खाते दर्ज रही है, इस प्रकार उक्त गत खसरा नं0 158 पर वादीगण खातेदार व काबिज काश्त प्रमाणित हैं। ऐसी स्थिति में यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय पाई जाती है।

तनकी संख्याः–2.क्या खसरा नं0 158 से नया नं0 237 बना है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि सेटलमेट विभाग द्वारा खसरा नं0 158 के नवीन खसरा नं0 237, 238 व 239 बनाये गये है जिनमें से खसरा नं0 238 व 239 को वादीगण के खाते दर्ज किया गया है और खसरा नं0 237 की 0.77 है0 को सिवाय चक दर्ज कर दिया गया हैं। इस संबन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.1.2019 प्राप्त की गई उसमें भी रकबा बरारी अनुसार उक्त खसरा नं0 237 रकबा 0.77 है0 पर वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित माना गया है और बिन्दु संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि हाल खसरा नं0 237 गत खसरा नं0 158/684 से कायम किया गया है। खसरा नं0 158/684

राजस्व नक्शे में अलग से दर्ज नही है बल्कि खसरा नं0 158 का ही भाग है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित है कि हाल खसरा नं0 237 भी गत खसरा नं0 158 के भाग से ही कायम किए गये है अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय पाई जाती है।

तनकी संख्याः–3.क्या वर्तमान खसरा नं0 240 मे अधिक भूमि दर्ज कर वादीगण के खाते की व कब्जे की आराजी के रकबे मे कमी कर दी है।

इस तनकी को साबित करने भार वादीगण पर है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 के अनुसार हाल खसरा नं0 240 की रकबा 0.42 है0 गत खसरा नं0 184 से कायम किया गया हैं। राजस्व नक्शो में भी यह तथ्य प्रमाणित होता है, ऐसी स्थिति में वादीगण का यह कथन साबित नही होता है कि वादीगण के खाते की भूमि खसरा नं0 240 में मिलाकर अधिक दर्ज कर दी हो अतः यह तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी संख्याः–4.क्या वर्तमान खसरा नं0 238 व 239 वादीगण के खाते मे दर्ज आराजी मे पुराने खसरा नं0 158 का रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा आराजी मे कमी कर दी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2028–31 के अनुसार वादीगण की भूमि गत खसरा नलं0 158 का रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा हैं। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त भूमि के नये खसरा नं0 238रकबा 1.99 है0 व 239 का रकबा 2.42 कायम किया गया हैं। तहसीलदार लाडपुरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार भी वादीगण का सेटलमेंट से पूर्व 5.94 है0 रकबा दर्ज था लेकिन सेटलमेंट संवत् 2038–57 में वादीगण का रकबा 4.41 है0 दर्ज कर गत के मुकाबले 1.53 है0 की कमी दर्ज की गई हैं। उक्त तनकी वादीगण प्रमाणित करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय पाई जाती है।

तनकी संख्याः–5 क्या प्रतिवादी कम 1 जो कि वादीगण का पडौसी काश्तकार है के खाते मे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 5 बीघा आराजी नाजायज एवं अवैध रूप से अधिक दर्ज करदी है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से यह कतई साबित नही है कि सेटलमेट विभाग द्वारा 5 बीघा आराजी वादीगण की कमी कर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की हो अतः यह तनकी उक्त रूपेण तय की जाती है।

तनकी संख्याः–6.आया प्रतिवादी कम 2 व 3 को पूर्व राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादी कम–2 व 3 द्वारा गणपत पुत्र देवा माली से उसकी 1/3 हिस्सा आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई है और इन्काल नं0 84 से प्रतिवादी कम–2 व 3 खातेदार दर्ज हुऐ है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी कम–2 व 3 खरीददार होने के कारण आवश्यक व उचित पक्षकार प्रमाणित है अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

की संख्याः–7.न्यायोचित सहायता पाने का वादी अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। जैसा कि तनकी संख्या 1, 2 व 4 के विवेचन में यह पाया गया है कि वादीगण का सेटलमेट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से 1.53 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी रकबा बरारी अनुसार प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.1.2019 में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। तहसीलदार लाडपुरा की उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार वर्तमान खसरा नं0 237 रकबा 0.77 है0 राजस्व नक्शे अनुसार गत खसरा नं0 158 से कायम किया गया है और उक्त खसरा नं0 237 की 0.77 है0 पर वादीगण काबिज भी है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि उक्त खसरा नं0 237 की रकबा 0.77 है0 वादीगण के गत खसरा नं0 158 से कायम किए गये है। वादीगण शेष रकबे के संबन्ध में यह साबित नही कर पाये है कि शेष रकबे से कोन से नम्बर कायम किए गये है और किस प्रकार शेष रकबे की पूर्ति की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद खसरा नं0 237 रकबा 0.77 है0 के संबन्ध में ही आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने पाया जाता है।

चूंकि तनकी संख्या 1, 2, 4 व 7 वादीगण के पक्ष में तय पाई गई है अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है और वादीगण को ग्राम बालिता तह0 लाडपुरा जिला कोटा के हाल खसरा नं0 237 की रकबा 0.77 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती कर उक्त खसरा नं0 237 की रकबा 0.77 है0 भूमि वादीगण के खाते दर्ज किए जाने के आदेश दिऐ जाते है। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे। निर्णय आज दिनांक 23.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल प्रतिहार)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : मोहनलाल प्रतिहार, आर0ए0एस0

बाल्या

बनाम

रामचरण

प्रकरण सं0 28/2005

–:: वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,90, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::–

वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है और वादीगण को ग्राम बालिता तह0 लाडपुरा जिला कोटा के हाल खसरा नं0 237 की रकबा 0.77 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती कर उक्त खसरा नं0 237 की रकबा 0.77 है0 भूमि वादीगण के खाते दर्ज किए जाने के आदेश दिऐ जाते है। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट से अवगत करें।

वाद के खर्चे लेखे ....र .... रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ... र ... प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित ....र ..... द्वारा ..... र .... को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 23 माह 1 सन् **2019** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्टेट, कोटा